प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

हत्याभियुक्त को हुई आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा

दिनांकः 06.09.2022

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री घुले सुशील चन्द्रभान द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादों में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप प्रचलित वाद में आज दिनांक 06.09.2022 को माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर हत्याभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व 12 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना रामपुर कलां से सम्बन्धित मु0अ0सं0 365/07 धारा 302/34/394 भादवि बनाम 1.हेमेश शुक्ला उर्फ फुस्सन पुत्र रिपुदवन शुक्ला 2.मनीष शुक्ला पुत्र जगतपाल (मृतक) 3.अमित शुक्ला पुत्र रामकुमार शुक्ला (मृतक) सर्व निवासीगण कल्यानपुर थाना बिसवां सीतापुर में रामपुर कलां पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मनों को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 06.09.2022 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-09 सीतापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त हेमेश शुक्ला उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 302/34/394 भा.द.वि में आजीवन कारावास व सश्रम 05 वर्ष कारावास व 12 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। उल्लेखनीय है कि नामजद दो अभियुक्तों 1.मनीष शुक्ला व 2.अमित शुक्ला की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है।

....